"कृपया पत्राचार विशेषकर ई-मेल हिंदी में करने को प्रोत्साहन दें"

दूरभाष Phone : 23234092
फैक्स Fax : 23234537
टॉल फ्री : 1800-11-2526

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in

संख्या : जैड-12/14/आई डी सं.1275/डॉ.एमजे/2010-सू.अ.अधि. दिनांक : 16.08.2010

सेवा में

सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक,
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक/
निदेशक(चिकि.) दिल्ली/नोएडा,
क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय,
क.रा.बी. अस्पताल/मॉडल अस्पताल ।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का अनुपालन ।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील मामले में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान माननीय आयोग ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बिना रिकार्डिंग/कारण दिए बिना संबंधित छूट खण्ड को न्यायोचित ठहराना सही नहीं है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश पर सूचना प्रदान करने से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/मानित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का दोष कम नहीं करेगा ।

आयोग द्वारा सुनी गई अन्य अपीलों में सूचना आयुक्त, श्री शैलेश गाँधी ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित सूचना प्रदान करेगा :-

(i) सम्पूर्ण ए पी ए आर की प्रतियाँ;
(ii) विभागीय पदोन्नति समितियों के कार्यवृत्त सह कार्यवाही;
(iii) लोक प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया;
(iv) लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण तथा साक्षात्कार में उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांक । (यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का निर्णय हो तो उसके कारण दर्ज करने के बाद उम्मीदवारों का पता छिपाया जा सकता है);
(v) सभी अर्हक/अनर्हक उम्मीदवारों के नाम, अनुक्रमांक, वर्ग, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण तथा साक्षात्कार में अर्जित अंक;
(vi) लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण तथा साक्षात्कार में उम्मीदवारों के विभिन्न वर्गों के विच्छेदक (कट-आफ) अंक ।

(vii) साक्षात्कार बोर्ड के कार्यवृत्त सह कार्यवाही;
(viii) लिखित परीक्षा तथा/अथवा कौशल परीक्षण की मूल्यांकन शीट/शीटें;
(ix) भर्ती विनियमों की प्रतियाँ तथा आगामी परीक्षा के लिए आयु, अनुभव संबंधी छूट, यदि कोई हो;
(x) क.रा.बी. अस्पताल सह व्यावसायिक रोग केन्द्र में गठित विशेष चिकित्सा बोर्ड को निर्देशित व्यावसायिक रोग मामलों की स्थिति ।

सूचना आयुक्त ने भी सुझाव दिया है कि क.रा.बी. निगम द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार का संचालन करने तथा उनके परिणाम से संबंधित सूचना उम्मीदवारों के प्रत्येक वर्ग के लिए नाम, अनुक्रमांक, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, विच्छेदक (कट आफ) अंकों सहित, जितनी संभव हो उतनी सूचना दर्शाते हुए क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर डालें ।

आशंकित व्यावसायिक रोगों जैसे आवश्यक संकेतकों से संबंधित सूचना तथा ऐसी अन्य सूचना केन्द्रीय रूप से एकत्र की जाए तथा प्रत्येक माह इसको अद्यतन किया जाए ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अनुरोध का निपटान करते समय सभी संबंधित मुख्य सूचना आयुक्त के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों/निर्णयों को ध्यान में रखें । यह निदेशक(कें.लो.सू.अ.) तथा बीमा आयुक्त(अपीलीय प्राधिकारी) मुख्यालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(राजकँवल)
संयुक्त निदेशक(सूचना का अधिकार)
मुख्यालय

प्रतिलिपि :

महानिदेशक/वित्त आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त/बीमा आयुक्त/अपर आयुक्त(का. एवं प्रशा.) के निजी सचिव को सूचनार्थ ।

संयुक्त निदेशक(प्रणाली), मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करें ।

राजभाषा शाखा, मुख्यालय ।